न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–23 / 2024

जीसीएमएस नं.:–2024 / 245

सवित्री देवी पत्नी डूंगर राम जाति कुम्हार निवासी चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— प्रार्थीया

बनाम्

1. अग्रेजसिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. बलराज सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

1. श्री अनिल कुमार गक्खड़ एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
2. श्री रविन्द्र कुमार बलाना एडवोकेट अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 की ओर से
3. राज पैरोकार अप्रार्थीगण सं.–3 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14/10/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से वाके चक 15 पी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–30 पत्थर सं.–118 / 25 का कि.नं.–1 ता 9 की कुल 2.277 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अनावेदक सं.–1 व 2 के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्न है। अनावेवक सं.–1 व 2 के [illegible] व तहसील अनूपगढ के चक 15 पी का मु.नं.–30 पत्थर सं.–118 / 25 का कि[illegible]1 व [illegible]9 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है जिसे स्वीकृत [illegible] जावे जो रास्ता [illegible]क की कृषि भूमि के किला नं.–12 तक जाकर आवेदक की कृषि भूमि में प्रवेश [illegible] प्रकार उक्त रास्ता अनावेदक सं.–1 व 2 के किला नम्बर 1, 2 व 9 में से होता हुआ सरकारी आम रास्ता पर पहुचंता है तथा इसी रास्ता से ही प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करके अपनी कृषि भूमि में पहुंचती है इसके अलावा प्रार्थीया की कृषि भूमि में आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेगा तथा जो रास्ता गावं में जाने वाले सरकारी रास्ता आम से जुड जाऐगा जिससे आवेदक अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगी उक्त रास्ता ही पूर्व में पिछले काफी समय से चालू है लेकिन अनावेदक सं.–1 व 2 उक्त चले रहे रास्ता से आवेदक का आवागमन बाधित करने के प्रयासरत है। नजरी नक्शा सलग्नं है। आवेदक की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिऐ विद्यमान में कोई मार्ग नहीं है तथा आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी आवेदक को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिऐ आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदक ने अनावेदक सं.–1 व 2 से अरसा पाचं दिन पूर्व किला नम्बर 1, 2 व 9 में 2–2 बिस्वा रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के लिऐ आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गए और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वे आवेदक को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अपनी भूमि के किला नम्बर 1, 2 व 9 मे से कोई रास्ता नहीं देगें बल्कि इस किला में जो रास्ता चल रहा है उसे शिघ्र ही बन्द कर देगें इसलिऐ प्रार्थीया की ओर से आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अनावेदक सं.–1 व 2 के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की कृषि भूमि वाके चक 15 पी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–30 पत्थर सं.–118/25 का कि.नं.–1, 2 व 9 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकंन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 व 2 की ओर से श्री रविन्द्र कुमार बलाना एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। कि प्रार्थीया को एक मुरब्बा दुर गुरूद्वारा के पास से रास्ता चालु है जिससे वह पिछले काफी समय से आवागमन कर रही है। प्रार्थीया ने गलत तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। किला नं–1, 2, 9 मे कोई रास्ता चालु नहीं है व ना ही स्वीकृत है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को केवल मात्र तंग परेशान करने के आश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीया किला नं–1, 2, 9 मे कोई रास्ता मंजुर करवाने की अधिकारी नहीं है व ना ही मौका पर रास्ता चल रहा है। ना ही प्रार्थीया को उक्त रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण ने इस संबंध मे समुचित साक्ष्य पेश करना चाहते है ताकि माननीय अदालत के समक्ष सही तथ्य प्रकाश में आ सके। अप्रार्थीगण की तमाम कृषि भूमि बैंक मे रहन है। जिस पर बैंक का अधिकार अधिपत्य है। बैंक को इसमे पक्षकार नहीं बनायास गया है। कृषि भूमि स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया शाखा ... जमाबंदी रिकार्ड है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य। अतः जबाव प्रार्थीया पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना ... मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण सं.–3 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 15 पी पत्थर नं.–118/25 पर पहुचा मौके पर वादी व प्रतिवादी अग्रेज सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख एवं अन्य मोतबिरान मौजूद व्यक्ति मिले उपस्थित

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कार्यालय अनूपगढ़ द्वारा प्रकरण 23/2024 सावित्री देवी बनाम् अग्रेजसिंह की जानकारी दी गई एवं मौका पूछताछ की गई। सलग्न जमाबदी अनुसार वादी प्रतिवादी ने अपने कृषि भूमि को सही माना। पटवारी हल्का के रिकार्डनुसार रास्ता की जानकारी चाही गई पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्डनुसार वादी की कृषि भूमि को रास्ता नहीं होना बताया मौका पर भी वादी की कृषि भूमि को आने–जाने हेतु रास्ता नहीं है। प्रतिवादी अग्रेजसिंह, बलराज सिंह पुत्र बलवीरसिंह से रास्ता के सबन्ध में पूछताछ की गई तो उन्होने रास्ता देने में अपनी असहमति जाहिर की वादी सावित्री देवी द्वारा उक्त पत्थर नं.–118/25 का किला नं.–1, 2 व 9 में से अपनी कृषि भूमि को रास्ता चाहा गया है मौका जाचं में भी वादी द्वारा चाहे गये स्थान पर ही बनता है। जिसका मौका नक्शा बनाया गया जो कि सलग्न किया गया। इस प्रकार मौका जांच में पाया कि वादी सावित्री देवी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जबकि कृषि भूमि हेतु रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। कार्यवाही मौके पर लिखी एवं पढकर सुनाई गई। मौका रिपार्ट मय नजरी नक्शा श्रीमान् जी को सादर प्रषित है। रिपोर्ट व नजरी नक्शा सलग्न है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ से क्रमांक रीडर/24/1584 दिनांक 13.11.2024 रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अपने खेत में जाने के लिए चक 15 पी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–30 पत्थर सं.–118/25 का कि.नं.–1, 2 व 9 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत खेत हेतु मांग की है। प्रार्थीया के खेत में आने जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। उक्त रास्ता प्रार्थीया को अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। चाहा गया मार्ग आत्यान्तिक आवश्यकता का एवं लघुत्तम मार्ग है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरें (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को रकबाराज की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि चक 15 पी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–30 पत्थर सं.–118/25 का कि.नं.–1, 2 व 9 में से 2–2 बिस्वा [illegible] अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, सुगम एवं निकटतम है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58

के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थीया को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें रास्ता में आई भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज **दिनांक** 14/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:35:40 IST
Reason: SelfAttested